

इसके साथ की पूर्व-अदायगी  
के दिनों द्वारा भेजे जाने  
के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र  
क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.



पत्र क्रमांक भोपाल शिक्षा  
122 (एम. पी.)

# मध्य प्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 जून 1993—ज्येष्ठ 27, शके 1915

स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 16 जून 1993

क्र. एफ. 1-28-93-ए-1-वी.ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश असाधारण तृतीय वर्ग शैक्षणिक सेवा (अमहाविद्यालयीय सेवा) भारती तथा पदोन्नति नियम, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों की अट्टाची क्रमांक-3 में,—

(एक) अनुक्रमांक 4 के समाने कालम (5) में, अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

✓ "और वी.एड. उपाधि" ✓

(दो) अनुक्रमांक 7 के समाने कालम (5) में, अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

✓ "और बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र अथवा वी.एड. उपाधि" ✓

No. F. 1-28-93-A-1-XX.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh

Non-gazetted class three Education Service (Non-Collegiate Service) Recruitment and Promotion Rules - 1973, namely:—

#### AMENDMENTS

In Schedule 3 of the said rules,—

(i) against S. No. 4, in column (5) the following shall be added at the end, namely:—

"and B. Ed. Degree"

(ii) against S. No. 7, in column (5) the following shall be added at the end, namely:—

"and Basic Training Certificate or B. Ed. Degree"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. सी. व्यास, उपसचिव.